

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

आप. प्रक. क्र.-214 / 2015
 संस्थित दिनांक-17.03.2015
 फा.नंबर-234503002272015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

श्यामाचरण पिता जीवनलाल हिरवाने, उम्र-40 वर्ष,
 निवासी बीजाटोला, थाना-परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 09 / 11 / 2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक-19.01.2015 के दो माह पूर्व थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बीजाटोला में फरियादी फूलकलीबाई हिरवाने के पति होते हुए फरियादी फूलकलीबाई हिरवाने को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया।

02- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थिया फूलकलीबाई हिरवाने ने थाना परसवाड़ा आकर लिखित रिपोर्ट दी कि उसका विवाह करीब 21 साल पहले बीजाटोला के श्यामचरण हिरवाने से सामाजिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ था। श्यामाचरण से उसे 04 बच्चे हुये थे, जो फौत हो गये। उसके पति उसके साथ छोटी-छोटी घरेलू बातों को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे तथा खाना-पीना भी ठीक से नहीं देते थे। उसके पति ने उसे घटना दिनांक से करीब 02 माह पहले उसको मारपीट कर घर से निकाल

दिये है। वह अपने मायके ग्राम झांगुल जाकर पिता सोहनलाल, भाई शिखरचंद, जगदेव, राजेन्द्र, भौजी रमसुला, बहू चैनबती, सुषमा तथा अन्य पड़ोसियों को उक्त बातें बताई थी। उसने यह सोचकर कि उसका पति उसे लेने झांगुल आयेगा, इसलिये रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन उसके द्वारा लेने नहीं आने से वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से पति से प्रताड़ित होने के कारण पिता सोहनलाल के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का नजरी-नक्शा तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्र.14/15 दिनांक 02.02.15 तैयार किया जाकर विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्त ने निर्णय के चरण क्रमांक 01 में वर्णित आरोप को अस्वीकार किया है।

04—प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.01.2015 के दो माह पूर्व थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बीजाटोला में फरियादी फूलकलीबाई हिरवाने के पति होते हुए फरियादी फूलकलीबाई हिरवाने को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया?

// सकारण निष्कर्ष //

05— फरियादी फूलकलीबाई अ.सा.01 ने कहा कि वह आरोपी को जानती है। आरोपी उसका पति है, जिससे उसका विवाह करीब 25 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह के पश्चात से वह आरोपी के साथ ग्राम बीजाटोला में निवासरत थी। करीब दो वर्ष पूर्व उसका आरोपी के साथ मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद वह अपने मायके ग्राम झांगुल रहने आ गई। फिर लोगों के कहने पर उसने आरोपी के विरुद्ध

पुलिस थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— फरियादी फूलकलीबाई अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसका पति छोटी-छोटी घरेलू बातों को लेकर उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करने लगा था और खाना-पीना भी ठीक से नहीं देता था और कुछ समय पूर्व उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था तथा पति द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के कारण उसने थाना परसवाड़ा जाकर उसकी रिपोर्ट की थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी ने उसे कभी भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया, उसने आरोपी से राजीनामा कर लिया है और वह सुखपूर्वक निवासरत है और वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

07— साक्षी सोहनलाल अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी से उसकी पुत्री का विवाह करीब 25 वर्ष पूर्व हुआ था। विगत 20 वर्षों में उसकी बेटी ने उसे कभी आरोपी के संबंध में कोई शिकायत नहीं की। घटना के कुछ समय पूर्व मौखिक विवाद होने के कारण उसकी पुत्री घर आ गई थी और उसने आक्रोश में थाना परसवाड़ा में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर उन लोगों की समझाईश पर विवाद शांत हो गया और वह उसके साथ रहने के लिये चली गई। वर्तमान में दोनों सुखपूर्वक निवासरत हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, तब उसने मौखिक विवाद वाली बात बता दी थी।

08— साक्षी सोहनलाल अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसका दामाद छोटी-छोटी घरेलू बातों को लेकर उसकी बेटी के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करने लगा और खाना-पीना भी ठीक से नहीं देता था और कुछ समय पूर्व उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था, दामाद द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के कारण उसने थाना परसवाड़ा जाकर उसकी रिपोर्ट की थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी से उसकी पुत्री का मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी ने उसे कभी भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया, उसने आरोपी से राजीनामा कर लिया है और वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है।

09— साक्षी शिखरचंद अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी से उसकी बहन का विवाह करीब 25 वर्ष पूर्व हुआ था। विगत 20 वर्षों में उसकी बहन ने उसे कभी आरोपी के संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी। घटना के कुछ समय पूर्व मौखिक विवाद होने के कारण उसकी बहन घर आ गई थी और उसने आक्रोश में थाना परसवाड़ा में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। फिर उन लोगों की समझाईश पर विवाद शांत हो गया और वह उसके साथ रहने के लिये चली गई। वर्तमान में दोनों सुखपूर्वक निवासरत हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, तब उसने मौखिक विवाद वाली बात बता दी थी।

10— साक्षी शिखरचंद अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसका जवाई छोटी-छोटी घरेलू बातों को लेकर उसकी बहन के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करने लगा और खाना-पीना भी ठीक से नहीं देता था

और कुछ समय पूर्व उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। यह अस्वीकार किया कि जवाई द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के कारण उसने थाना परसवाड़ा जाकर उसकी रिपोर्ट की थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.05 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी से उसकी बहन का मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी ने उसे कभी भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया था, उसने आरोपी से राजीनामा कर लिया है और वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है।

11— फरियादी फूलकलीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी ने उसे कभी भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया था, उसने आरोपी से राजीनामा कर लिया है और वह उसके साथ स्वेच्छयापूर्वक निवासरत है तथा वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इसी प्रकार प्रकरण के अन्य साक्षी सोहनलाल अ.सा.02 एवं शिखरचंद अ.सा.03 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी एवं प्रार्थी के मध्य समझौता हो गया है और वह आरोपी के विरुद्ध अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। फरियादी/आहत फूलकलीबाई अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी श्रीमती फूलकलीबाई हिरवाने के पति होते हुए फरियादी फूलकलीबाई हिरवाने को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)